



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 200]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 7, 2014/चैत्र 17, 1936

No. 200]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 7, 2014/CHAITRA 17, 1936

भारतीय रिज़र्व बैंक

( विदेशी मुद्रा विभाग )

( केंद्रीय कार्यालय )

अधिसूचना

मुंबई, 3 मार्च, 2014

सं. फेमा. 296/2014-आरबी

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा

प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) ( संशोधन ) विनियमावली, 2014

सा.का.नि. 270(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (बी) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

## 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

( i ) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली, 2014 कहलाएंगे ।

( ii ) ये विनियम 08 जनवरी, 2014 से लागू हुए समझे जाएंगे । @

## 2. अनुसूची 1 में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000-आरबी) में अनुसूची 1 के अनुबंध 'बी' में, मौजूदा प्रविष्टि 25 निम्नलिखित से प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

25

## फार्मास्युटिकल्स

25.1	ग्रीनफील्ड	100%	स्वचालित मार्ग
25.2	ब्राउनफील्ड	100%	सरकारी मार्ग

**नोट** : ब्राउनफील्ड में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामलों में अनुमोदन प्रदान करते समय सरकार यथोचित शर्तें समाविष्ट कर सकती है।

25.2 **अन्य शर्त** : केवल विशेष परिस्थितियों में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के अनुमोदन के अलावा 'गैर-प्रतिस्पर्धी' उपबंध की अनुमति नहीं दी जाएगी।

[फा. सं. 1/7/ई.एम/2014]

सी. डी. श्रीनिवासन, मुख्य महाप्रबंधक

**पाद टिप्पणी :-**

(i) @ यह स्पष्ट किया जाता है कि इन विनियमों के पूर्व प्रभावी किए जाने से किसी भी व्यक्ति पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा।

(ii) मूल विनियमावली, सरकारी राजपत्र के भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड (i) में 8 मई, 2000 के सा.का.नि. सं. 406(अ) के जरिये प्रकाशित और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी थी :

सा.का.नि. सं. 158(अ) दिनांक 02-03-2001  
 सा.का.नि. सं. 175(अ) दिनांक 13-03-2001  
 सा.का.नि. सं. 182(अ) दिनांक 14-03-2001  
 सा.का.नि. सं. 4(अ) दिनांक 02-01-2002  
 सा.का.नि. सं. 574(अ) दिनांक 19-08-2002  
 सा.का.नि. सं. 223(अ) दिनांक 18-03-2003  
 सा.का.नि. सं. 225(अ) दिनांक 18-03-2003  
 सा.का.नि. सं. 558(अ) दिनांक 22-07-2003  
 सा.का.नि. सं. 835(अ) दिनांक 23-10-2003  
 सा.का.नि. सं. 899(अ) दिनांक 22-11-2003  
 सा.का.नि. सं. 12(अ) दिनांक 07-01-2004  
 सा.का.नि. सं. 278(अ) दिनांक 23-04-2004  
 सा.का.नि. सं. 454(अ) दिनांक 16-07-2004  
 सा.का.नि. सं. 625(अ) दिनांक 21-09-2004  
 सा.का.नि. सं. 799(अ) दिनांक 08-12-2004  
 सा.का.नि. सं. 201(अ) दिनांक 01-04-2005  
 सा.का.नि. सं. 202(अ) दिनांक 01-04-2005  
 सा.का.नि. सं. 504(अ) दिनांक 25-07-2005  
 सा.का.नि. सं. 505(अ) दिनांक 25-07-2005  
 सा.का.नि. सं. 513(अ) दिनांक 29-07-2005  
 सा.का.नि. सं. 738(अ) दिनांक 22-12-2005  
 सा.का.नि. सं. 29(अ) दिनांक 19-01-2006

सा.का.नि. सं. 413(अ) दिनांक 11-07-2006  
 सा.का.नि. सं. 712(अ) दिनांक 14-11-2007  
 सा.का.नि. सं. 713(अ) दिनांक 14-11-2007  
 सा.का.नि. सं. 737(अ) दिनांक 29-11-2007  
 सा.का.नि. सं. 575(अ) दिनांक 05-08-2008  
 सा.का.नि. सं. 896(अ) दिनांक 30-12-2006  
 सा.का.नि. सं. 851(अ) दिनांक 01-12-2006  
 सा.का.नि. सं. 341(अ) दिनांक 21-04-2010  
 सा.का.नि. सं. 606(अ) दिनांक 03-08-2012  
 सा.का.नि. सं. 795(अ) दिनांक 30-10-2012  
 सा.का.नि. सं. 796(अ) दिनांक 30-10-2012  
 सा.का.नि. सं. 797(अ) दिनांक 30-10-2012  
 सा.का.नि. सं. 821(अ) दिनांक 10-11-2012  
 सा.का.नि. सं. 945(अ) दिनांक 31-12-2012  
 सा.का.नि. सं. 946(अ) दिनांक 31-12-2012  
 सा.का.नि. सं. 38(अ) दिनांक 22-01-2013  
 सा.का.नि. सं. 515(अ) दिनांक 30-07-2013  
 सा.का.नि. सं. 532(अ) दिनांक 05-08-2013  
 सा.का.नि. सं. 341(अ) दिनांक 28-05-2013  
 सा.का.नि. सं. 344(अ) दिनांक 29-05-2013  
 सा.का.नि. सं. 195(अ) दिनांक 01-04-2013  
 सा.का.नि. सं. 393(अ) दिनांक 21-06-2013  
 सा.का.नि. सं. 591(अ) दिनांक 04-09-2013  
 सा.का.नि. सं. 596(अ) दिनांक 06-09-2013  
 सा.का.नि. सं. 597(अ) दिनांक 06-09-2013  
 सा.का.नि. सं. 681(अ) दिनांक 11-10-2013  
 सा.का.नि. सं. 682(अ) दिनांक 11-10-2013  
 सा.का.नि. सं. 818(अ) दिनांक 31-12-2013  
 सा.का.नि. सं. 683(अ) दिनांक 11-10-2013  
 सा.का.नि. सं. 805(अ) दिनांक 30-12-2013

**RESERVE BANK OF INDIA****(Foreign Exchange Department)**

(CENTRAL OFFICE)

**NOTIFICATION**

Mumbai, the 3rd March, 2014

**No. FEMA. 296/2014-RB****Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) (Amendment) Regulations, 2014**

**G.S.R. 270(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May, 2000), namely:—

**1. Short Title & Commencement :—**

(i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) (Amendment) Regulations, 2014.

(ii) They shall come into force from January 08, 2014@.

**2. Amendment of Schedule 1**

In the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May, 2000), the existing entry 25 in Annex B of the Schedule 1 shall be substituted by the following, namely :—

**25 Pharmaceuticals**

25.1	Greenfield	100%	Automatic
25.2	Brownfield	100%	Government

**Note:** Government may incorporate appropriate conditions for FDI in brownfield cases, at the time of granting approval.

**25.3 Other Condition:** 'Non-compete' clause would not be allowed except in special circumstances with the approval of the Foreign Investment Promotion Board.

[F. No. 1/7/EM/2014 ]

C. D. SRINIVASAN, Chief General Manager

**Foot Note:-**

(i) @ It is clarified that no person will be adversely affected as a result of the retrospective effect being given to these Regulations.

(ii) The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R. NO.406 (E) dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended as under :—

G.S.R.No. 158(E) dated 02.03.2001

G.S.R.No. 175(E) dated 13.03.2001

G.S.R. No. 182(E) dated 14.03.2001

G.S.R.No. 4(E) dated 02.01.2002

G.S.R.No. 574(E) dated 19.08.2002

G.S.R.No. 223(E) dated 18.03.2003

G.S.R.No. 225(E) dated 18.03.2003

G.S.R.No. 558(E) dated 22.07.2003

G.S.R.No. 835(E) dated 23.10.2003

G.S.R.No. 899(E) dated 22.11.2003

---

G.S.R.No. 12(E) dated 07.01.2004	G.S.R.No. 606(E) dated 03.08.2012
G.S.R.No. 278(E) dated 23.04.2004	G.S.R.No. 795(E) dated 30.10.2012
G.S.R.No. 454(E) dated 16.07.2004	G.S.R.No. 796(E) dated 30.10.2012
G.S.R.No. 625(E) dated 21.09.2004	G.S.R. No. 797(E) dated 30.10.2012
G.S.R.No. 799(E) dated 08.12.2004	G.S.R. No. 945(E) dated 31.12.2012
G.S. R. No. 201 (E) dated 01.04.2005	G.S.R. No. 946(E) dated 31.12.2012
G.S.R.No. 202(E) dated 01.04.2005	G.S.R. No. 38(E) dated 22.01.2013
G.S.R.No. 504(E) dated 25.07.2005	G.S.R.No. 515(E) dated 30.07.2013
G.S.R.No. 505(E) dated 25.07.2005	G.S.R.No. 532(E) dated 05.08.2013
G.S.R.No. 513(E) dated 29.07.2005	G.S.R. No. 341(E) dated 28.05.2013
G.S.R.No. 738(E) dated 22.12.2005	G.S.R.No. 344(E) dated 29.05.2013
G.S.R.No. 29(E) dated 19.01.2006	G.S.R. No. 195(E) dated 01.04.2013
G.S.R.No. 413(E) dated 11.07.2006	G.S.R.No. 393(E) dated 21.06.2013,
G.S.R.No. 712(E) dated 14.11.2007	G.S.R.No. 591(E) dated 04.09.2013
G.S.R.No. 713(E) dated 14.11.2007	G.S.R.No. 596(E) dated 06.09.2013
G.S.R.No. 737(E) dated 29.11.2007	G.S.R.No. 597(E) dated 06.09.2013
G.S.R.No. 575(E) dated 05.08.2008	G.S. R. No. 681 (E) dated 11.10.2013
G.S.R.No. 896(E) dated 30.12.2008	G.S.R.No. 682(E) dated 11.10.2013
G.S.R.No. 851 (E) dated 01.12.2009	G.S.R.No. 818(E) dated 31.12.2013
G.S.R.No. 341 (E) dated 21.04.2010	G.S.R.No. 683(E) dated 11.10.2013
G.S. R. No. 821 (E) dated 10.11.2012	G.S. R. No. 805 (E) dated 30.12.2013